राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6) / प्रशि. / अलेसे–III / 6396 दिनांक :– 21.12.2020

अतिरिक्त निदेशक एवं परीक्षा समन्वयक,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान(रीपा),
जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302017

विषयः– कनिष्ठ लेखाकारों के 08 सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण में आयोजित विभागीय परीक्षा के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः शामिल करने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक 15544–48 दिनांक 30.09.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र ह.च.मा. रीपा, उदयपुर में अगस्त 2019 में आयोजित की गई संस्थानिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। उक्त परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण कनिष्ठ लेखाकारों को उनके द्वारा अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में एक ओर अवसर प्रदान करते हुए सम्मिलित करने की व्यवस्था करावें। अनुत्तीर्ण कनिष्ठ लेखाकारों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम	लिंक नं. / मेरिट नं.	पदस्थापन कार्यालय	अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र का नाम एवं संख्या
1.	कैलाश चन्द मीणा	12966 / 2502	चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रैणी, अलवर।	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम(प्रथम)
2.	गोपी किशन छींपा	23274 / 3228	उपनिदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम(प्रथम)
3.	सन्नी कलासुआ	33345 / 3630	समाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीछीवाड़ा, डूंगरपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम(प्रथम)

संलग्नः– आवेदन पत्र

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6) / प्रशि. / अलेसे–III / 6396 दिनांक :– 21.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर–313001 / कोटा–324001 / बीकानेर–334003 / जोधपुर–342006
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (परीक्षा) ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करावें।
4. समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि वे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में सम्मिलित होने के लिए वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के माध्यम से संलग्न आवेदन पत्र भरकर ह.च.मा. (रीपा), जयपुर में जमा करावें एवं रोल नं. आवंटन करवाकर उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई कनिष्ठ लेखाकार भी अनुत्तीर्ण हो तो संलग्न आवेदन पत्र भरकर जमा कराना सुनिश्चित करावें।
5. निजी / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

D:\NEW FOLDER 2020\RAJENDRA SHARMA\RAJENDRA-DOCX.DOCX 162

सूची 1
विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षर में)

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि

4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिविक्षाधीन स्थाई / अस्थाई, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)

5. पद एवं नियुक्ति का स्थान

6. यदि विभागीय परीक्षा मे नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रो मे उतीर्ण हो गये हो, उल्लेख करे ।

7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो

8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते है।

9. प्रश्न–पत्र जिसमे बैठना चाहते है। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें)

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर एव ——————

पद——————

पूरा पता ——————

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र एवं पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवाये) एव निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट– आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये है । जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसका क0सं0 9 मे स्पष्ट उल्लेख करें ।

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017

क्र0 सं0————————— पंजीयन संख्या————————————

श्री————————————————जो————————————————

——में है और इस समय ————————————————के पद पर कार्य कर रहे है, को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है । जो कि दिनांक ————————————से ————————————तक हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर मे होगी ।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गई है । भविष्य मे पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

पंजीयक
विभागीय परीक्षाये (समस्त राज्य सेवाये) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017

<u>आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश –</u>

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वंय अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये ।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल न0 प्राप्त होने मे विलम्ब न हो ।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियो की सत्यता की जॉच कर लेनी चाहिये ।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक मे पूरा नाम लिखना चाहिये ।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाऐं से प्राप्त रोल न0 स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिये । इस परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी ।
6. परीक्षा मे बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर–पुस्तिकायें दी जावेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वंय का लानी होगी ।
7. जिन प्रश्न पत्रो के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है । उसमे केवल वही नियम, आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी ।
8. आवेदन पत्र के क0सं0 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि विभागीय परीक्षा के लिये किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है ।
9. जिन प्रश्न पत्रो से छूट चाही है उनके लिये आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिये हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजे ।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।